National Housing Bank

भारतीय रिज़र्व बैंक को सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) की नियुक्ति अनुरोध हेतु नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक को सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) की नियुक्ति अनुरोध हेतु नीति

1. परिचय

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के अपने पत्र संदर्भ सं. डीओएस.एआरजी.सं. एस-10/08:15:008/2021-22 के माध्यम से सूचित किया है कि दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि लेखा वर्ष 2021-22 और इसके पश्चात से रा.आ.बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आ.वि.कं. सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।

2. प्रयोजन:

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मानदंडों; राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान की पुष्टि में नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को एसए की नियुक्ति अनुरोध हेतु नीति को परिभाषित करना।

3. परिभाषाएं:

क) "ए.वाई." का अर्थ है लेखा वर्ष और वर्तमान में बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है।

ख) "लेखा परीक्षा समिति" का अर्थ है बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति।

ग) "बोर्ड" का अर्थ है बैंक का निदेशक मंडल।

घ) "सांविधिक लेखा परीक्षक (एसए)" का अर्थ है बैंक की सांविधिक लेखा परीक्षा करने के लिए नीति के अनुसार नियुक्त लेखा परीक्षक।

ङ) "भा.रि.बैंक परिपत्र" का अर्थ है भा.रि.बैंक परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-22/25 संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.एआरजी/एसईसी.01/08.91.001/ 2021-22। दिनांकित 27 अप्रैल, 2021

च) समूह संस्थाओं का अर्थ होगा निम्नलिखित में से किसी भी संबंध अर्थात सहायक – मूल संस्था (एएस 21 के रूप में परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस 27 के रूप में परिभाषित, सहयोगी (एएस 23 के रूप में परिभाषित), सूचीबद्ध कंपनियों हेतु संप्रवर्तक [सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) में यथा प्रदत्त], एक संबंधित पक्ष (एएस 18 के रूप में परिभाषित), समान ब्रांड नाम और 20% और उससे अधिक इक्विटी शेयरों में निवेश के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक संस्थाएं। [ध्यान दें: "एएस" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानक]

छ) "संप्रवर्तक" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 में है और इसमें संप्रवर्तक समूह का एक सदस्य शामिल होता है

ज) "संप्रवर्तक समूह" में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है,

i) संप्रवर्तक की सहायक या धारित कंपनी;

ii) कोई भी निगमित निकाय जिसमें संप्रवर्तक के पास इक्विटी शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक हो; और/या कोई भी निगमित निकाय जिसके पास संप्रवर्तक की इक्विटी शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक हो

iii) कोई भी निगमित निकाय जिसमें व्यक्तियों का समूह या कंपनियां या दोनों मिलकर सामान्य मति से कार्य करता हो, जो उस निगमित निकाय में इक्विटी शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करते हों और ऐसे व्यक्तियों का समूह या कंपनियां या दोनों निगर्मकर्ता की इक्विटी शेयर पूंजी का भी बीस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करते हों और सामान्य मति से कार्य भी करते हों

झ) संभावित हितों का टकराव –

एसए के रूप में नियुक्ति के लिए विचार की जा रही फर्म के संदर्भ में संभावित हितों का टकराव निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न हो सकता है:

i) फर्म बैंक की एक समूह संस्था के लिए लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्यों से जुड़ी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है,

ii) फर्म बैंक की एक समूह संस्था के लिए लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्यों से जुड़ी थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है और इस प्रकार की संलग्नता को पूरा हुए एक वर्ष से अधिक नहीं हुआ है,

iii) फर्म का भागीदार बैंक की किसी भी समूह संस्था में निदेशक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है।

4. प्रयोज्यता:

4.1 यह नीति लेखा वर्ष 2021-22 से लिए लागू होगी जब तक कि अन्यथा भा.रि.बैंक द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है।

5. नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं के नाम प्रस्तुत करना:

5.1 बैंक को प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार एसए की नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में एसए की सूची भा.रि.बैंक को प्रस्तुत करना होगा। बैंक को पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई, को इस तरह की नियुक्ति के लिए संदर्भ वर्ष के लिए आवेदन करना होगा।

6. सांविधिक लेखा परीक्षकों की संख्या:

6.1 लेखा वर्ष 2021-22 और उसके बाद से, रा.आ.बैंक एसए के रूप में नियुक्ति के लिए अपने बोर्ड/एसीबी के अनुमोदन से वरीयता के क्रम में दो लेखा परीक्षा फर्मों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है और उसके बाद एसए की नियुक्ति के लिए भा.रि.बैंक से संपर्क कर सकता है।

7. लेखा परीक्षकों के लिए पात्रता मानदंड:

7.1 **(क)** एसए के रूप में नियुक्त होने वाली लेखा परीक्षा फर्मों के लिए न्यूनतम मानक और पात्रता मानदंड नीचे दिए गए अनुसार होंगे:

पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की संपत्ति का आकार	पूर्णकालिक भागीदारों (एफ़टीपी) की न्यूनतम संख्या जो कम से कम पिछले तीन (3) वर्षों से फर्म के साथ जुड़े **नोट** 1	एफटीपी में से फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफसीए) की न्यूनतम संख्या जो कम से कम पिछले तीन (3) वर्षों से फर्म के साथ जुड़े	सीआईएसए/आईएसए योग्यता के साथ पूर्णकालिक भागीदारों/वैतनिक सीए की न्यूनतम संख्या **नोट 2**	फर्म के लेखापरीक्षा अनुभव के वर्षों की न्यूनतम संख्या **नोट 3**	पेशेवर कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या **नोट 4**
₹ 15,000 करोड़ से अधिक	5	4	2	15	18

नोट 1: शॉर्टलिस्ट किए जाने की तारीख को ऐसे 5 भागीदारों का फर्म के साथ कम से कम एक साल का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए ताकि उन्हें पूर्णकालिक भागीदार माना जा सके। इसके अलावा, फर्म के ऐसे पांच भागीदारों में से कम से कम दो भागीदारों का फर्म के साथ कम से कम 10 वर्षों तक निरंतर जुड़ाव होना चाहिए।

a) फर्म के साथ पूर्णकालिक भागीदार जुड़ाव का अर्थ होगा विशिष्ट जुड़ाव। 'विशिष्ट जुड़ाव' की परिभाषा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी:

(i) पूर्णकालिक भागीदार अन्य फर्मों में भागीदार नहीं होना चाहिए.

(ii) वह कहीं और पूर्ण कालिक/अंश कालिक तौर पर काम नहीं करता हो।

(iii) वह अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं करता हो या ऐसे अन्यथा प्रैक्टिस या किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2 (2) के तहत प्रैक्टिस माना जाएगा।

(iv) बोर्ड/एसीबी को यह जांच करना और सुनिश्चित करना होगा कि फर्म/एलएलपी से भागीदार की आय उन्हें पूर्णकालिक विशेष रूप से संबद्ध भागीदारों के रूप में विचार करने के लिए पर्याप्त है, जो इस उद्देश्य के लिए फर्म की क्षमता सुनिश्चित करेगा।

नोट 2: सीआईएसए/आईएसए योग्यता: सीआईएसए/आईएसए योग्यता वाले वैतनिक सीए का शॉर्टलिस्ट किए जाने की तारीख से कम से कम 1 साल का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए ताकि उन्हें इस उद्देश्य हेतु सीआईएसए/आईएसए योग्यता वाले वैतनिक सीए के तौर पर माना जा सके।

नोट 3: लेखा परीक्षा अनुभव: लेखा परीक्षा अनुभव का अर्थ होगा लेखा परीक्षा फर्म का वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) / एआईएफआई के सांविधिक केंद्रीय / शाखा लेखा परीक्षक के रूप में अनुभव। ऑडिट फर्मों के विलय और विलगाव के मामले में, इस उद्देश्य के लिए विलय के 2 साल बाद विलय प्रभाव दिया जाएगा, जबकि विलगाव को तत्काल प्रभावी माना जाएगा।

नोट 4: पेशेवर कर्मचारी: पेशेवर कर्मचारियों में लेखा-परीक्षा और लेखबद्ध क्लर्क शामिल हैं जिन्हें बहीखाता पद्धति और लेखा-जोखा का ज्ञान है और जो ऑन-साइट लेखा-परीक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें टाइपिस्ट/स्टेनो/कंप्यूटर ऑपरेटर/सचिव/अधीनस्थ कर्मचारी आदि शामिल नहीं हैं।

ख. अतिरिक्त विचार

(i) लेखा परीक्षा फर्म, जिसे एसए के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के अनुसार कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत रूप से योग्य होनी चाहिए।

(ii) लेखा परीक्षा फर्म किसी भी सरकारी एजेंसी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), भा.रि.बैंक या अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए।

(iii) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एसए की नियुक्ति आईसीएआई की आचार संहिता / ऐसे किसी भी अन्य मानकों के अनुरूप है और इससे हितों का टकराव नहीं होता है।

(iv) यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भागीदार रा.आ.बैंक द्वारा विनियमित समूह संस्था में निदेशक है, तो उक्त फर्म को बैंक के एसए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। बैंक को, एसए के रूप में नियुक्ति के लिए फर्मों के चयन की प्रक्रिया के भाग के रूप में, इस संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण प्राप्त करना होगा, जिसमें समूह संस्थाओं में निदेशक के विवरण शामिल हों जो भा.रि.बैंक द्वारा विनियमित नहीं हैं।

ग. मूल पात्रता मानदंड का निरंतर अनुपालन

अगर कोई लेखा परीक्षा फर्म (नियुक्ति के बाद) किसी भी पात्रता मानदंड (किसी भी भागीदार, कर्मचारी के इस्तीफे, मृत्यु आदि, सरकारी एजेंसियों, एनएफआरए, आईसीएआई, भा.रि.बैंक, अन्य वित्तीय नियामकों आदि द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में) का पालन नहीं करती है, तो उसे पूर्ण विवरण के साथ तुरंत बैंक से संपर्क करना होगा। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा फर्म को एक उचित समय के भीतर पात्र बनने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे और किसी भी मामले में, लेखा परीक्षा फर्म को 30 जून को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले और वार्षिक लेखा परीक्षा पूरा होने तक उपरोक्त मानदंडों का पालन करना होगा।

लेखा परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी असाधारण परिस्थिति के मामले में, जैसे एक या एक से अधिक भागीदारों, कर्मचारियों, आदि की मृत्यु, जो किसी भी पात्रता मानदंड के संबंध में फर्म को अपात्र बनाती है, बैंक विशेष मामले के तौर पर संबंधित लेखा परीक्षा पूरा करने हेतु संबंधित लेखा परीक्षा फर्म को अनुमति दिलाने हेतु आरबीआई से संपर्क कर सकता है।

8. <u>लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता:</u>

8.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) , लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रासंगिक विनियामक प्रावधानों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में हितों की स्थिति के टकराव की निगरानी और आकलन करेगी। एसीबी द्वारा इस संबंध में किसी भी चिंता से निदेशक मंडल और भा.रि.बैंक के संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम)/ क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को अवगत कराया जा सकता है।

8.2 बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों की एससीए/एसए के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं की जाएगी। लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता का आकलन करते समय, एक ही संदर्भाधीन वर्ष के लिए बैंक में वृहद् एक्सपोजर ('वृहद एक्सपोजर ढांचा' पर भा.रि.बैंक निर्देशों में परिभाषित अनुसार) वाले बैंक और किसी संस्था की लेखा परीक्षा को, स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

8.3 बैंक के लिए एसए द्वारा किसी भी गैर-लेखा परीक्षा कार्यों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 में उल्लिखित सेवाओं, आंतरिक कार्य, विशेष कार्य आदि) या अपने समूह संस्थाओं के लिए किसी भी लेखा परीक्षा/गैर-लेखा परीक्षा कार्यों के बीच समयान्तराल, एससीए/एसए के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले या बाद में कम से कम एक वर्ष होना चाहिए। तथापि, एसए के कार्यकाल के दौरान, एक लेखा परीक्षा फर्म बैंक को ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप सामान्यत: हितों के

टकराव का कारण न हो और एसीबी के परामर्श से बैंक इस संबंध में अपना निर्णय ले सकता है। निम्नलिखित विशेष कार्य (सांकेतिक सूची) के मामले में आम तौर पर टकराव तैयार नहीं होगा:

(i) कर संबंधी लेखा परीक्षा, जीएसटी लेखा परीक्षा, कर प्रतिनिधित्व और कराधान मामलों पर सलाह,

(ii) अंतरिम वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा।

(iii) सांविधिक या नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र।

(iv) वित्तीय जानकारी या उसके खंडों पर रिपोर्टिंग

हालांकि, यदि कोई लेखा परीक्षा फर्म बैंक के साथ किसी भी गैर-लेखापरीक्षा कार्य में शामिल है और/या अन्य आरबीआई विनियमित समूह संस्थाओं में किसी भी लेखा परीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्य में शामिल है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के एसए के रूप में नियुक्ति की तारीख से पहले उक्त कार्य को पूरा कर देती है या अलग हो जाती है तो उक्त लेखा परीक्षा फर्म वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के एसए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगी।

8.4 उपरोक्त पैरा 8.2 और 8.3 में वर्णित प्रतिबंध, लेखा परीक्षा फर्म के समान नेटवर्क (जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 6(3) में परिभाषित किया गया है) के अंतर्गत आने वाली लेखा परीक्षा फर्म या समान भागीदार वाले अन्य लेखा परीक्षा फर्म पर भी लागू होगा।

9. <u>एसए के पेशेवर मानक</u>

9.1 एसए द्वारा अपनी लेखा परीक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में प्रासंगिक पेशेवर मानकों का अधिकतम तत्परता के साथ सख्ती से अनुपालन किया जाए।

9.2 एसीबी , वार्षिक आधार पर, एसए के कार्यप्रदर्शन की समीक्षा करें। लेखा परीक्षा जिम्मेदारियों में कोई गंभीर चूक/लापरवाही या एसए की ओर से व्यवहारिक या प्रासंगिक माने जाने वाले किसी अन्य मुद्दे की सूचना वार्षिक लेखा परीक्षा के पूरा होने से दो महीने के भीतर भा.रि.बैंक को दी जाएगी। लेखा परीक्षा फर्म के संपूर्ण विवरण सहित ऐसी रिपोर्टों को एसीबी के अनुमोदन/सिफारिश के साथ भेजा जाना चाहिए।

9.3 लेखा परीक्षा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर जिसके कारण वित्तीय विवरणी में गलत तथ्य का उल्लेख किया जाता है अथवा यदि बैंक को लेकर एसए अपनी भूमिका / जिम्मेदारियों के निर्वहन में भा.रि.बैंक के दिशानिर्देश / निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या उसके प्रति लापरवाही बरतते हैं तो ऐसी स्थिति में एसए के विरुद्ध प्रासंगिक सांविधिक / विनियामक ढांचा के तहत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

10. <u>कार्यकाल और रोटेशन</u>

10.1 एसए की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, बैंक को प्रत्येक वर्ष पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली फर्मों से तीन वर्षों की निरंतर अवधि के लिए एसए की नियुक्ति हेतु भा.रि.बैंक से अनुरोध करनी होगी।

10.2 लेखा परीक्षा फर्म लेखा परीक्षा कार्यकाल के एक पूर्ण या आंशिक अवधि के पूरा होने क बाद अलग छह वर्षों (दो कार्यकाल) के

लिए फिर से नियुक्त होने की पात्र नहीं होगी। अगर एक लेखा परीक्षा फर्म ने आधे कार्यकाल (1 वर्ष या 2 वर्ष) हेतु बैंक का लेखा परीक्षा किया है और उसके बाद शेष अविध हेतु उसे नामित नहीं किया गया तो वे भी आंशिक कार्यकाल पूरा होने के छह वर्ष हेतु बैंक में दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगी।

10.3 बैंक के एसए के तौर पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित एक लेखा परीक्षा फर्म, विशिष्ट वर्ष के दौरान समवर्ती रूप से अधिकतम चार वाणिज्यिक बैंकों, [जिसमें एक पीएसबी या एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, सिडबी, रा.आ.बैंक, एक्जिम बैंक) या आरबीआई सहित], आठ यूसीबी तथा आठ एनबीएफसी की सांविधिक लेखा परीक्षा कर सकती है, सामान्य भागीदारों और/या एक ही नेटवर्क के तहत आने वाले लेखा परीक्षा फर्मों के एक समूह को एक इकाई के रूप में माना जाएगा

लेखा परीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क के अंतर्गत किसी अन्य/एसोसिएट लेखा परीक्षा फर्म द्वारा साझा/उप-अनुबंधित लेखा परीक्षा स्वीकार्य नहीं है। यदि आने वाली लेखा परीक्षा फर्म, निवर्तमान ऑडिट फर्म से जुड़ी हो या फर्मों के एक ही नेटवर्क से हो तो वह आने वाली लेखा परीक्षा फर्म पात्र नहीं होगी।

11. <u>सांविधिक लेखा परीक्षक - नियुक्ति प्रक्रिया</u>

11.1 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मौजूदा लेखा परीक्षकों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया:

प्रत्येक वर्ष, बैंक को एसए से पात्रता मानदंडों के अनुपालन पर घोषणा पत्र प्राप्त करके पुनर्नियुक्ति के लिए मौजूदा एसए से सम्मति प्राप्त करनी होगी और आरबीआई को अनुरोध करनी होगी। यदि किसी मौजूदा एसए से ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक को नए एसए की नियुक्ति के लिए आरबीआई को आगे जमा करने हेतु चयन प्रक्रिया का पालन करना होगा।

11.2 <u>चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म को एसए के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया:</u>

11.2.1 संबंधित वर्ष के लिए पीएसबी के एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अखिल भारतीय लेखा परीक्षा फर्मों के पैनल (अस्वीकृत फर्मों के नाम हटाने के बाद) को भा.रि.बैंक द्वारा रा.आ.बैंक के साथ साझा किया जाएगा।

11.2.2 लेखा परीक्षा फर्म/बैंक के पूर्व लेखा परीक्षकों/ पूर्व में बैंक से जुड़ी फर्म और ऐसे फर्म जिनका मुख्यालय नई दिल्ली/एनसीआर में है और जो उपरोक्त पैरा 7 के अनुसार जो पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं उनसे ईओआई आमंत्रित की जाएगी। फर्मों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आवेदन करने के लिए एमडी से पूर्व अनुमोदन के साथ अधिकतम 2 सप्ताह के समय की घोषणा की जाएगी। रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए लिंक बैंक की वेबसाइट पर डाली जाएगी और ईओआई के लिए विंडो के संबंध में दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया जाएगा।

11.2.3 एक मूल्यांकन समिति द्वारा ईओआई के लिए प्राप्त आवेदनों में से फर्मों को शोर्टलिस्ट किया जाएगा। मूल्यांकन समिति के गठन को एमडी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। मूल्यांकन समिति एसीबी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए पात्रता आवश्यकताओं और फर्मों से प्राप्त इच्छा के अनुसार मानकों पर लेखा परीक्षा फर्मों का मूल्यांकन करके फर्मों को शॉर्टलिस्ट करेगी। मूल्यांकन समिति उन 03 लेखा परीक्षा फर्मों को शॉर्टलिस्ट करेगी जिनमें हितों का टकराव की संभावना नहीं है। ऐसी शॉर्ट-लिस्ट की गई ऑडिट फर्मों को एसीबी के सामने एक प्रस्तुतीकरण देने के लिए कहा जाएगा, जिसमें भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के सभी पहलू शामिल होंगे।

11.2.4 एसीबी रिक्तियों के सामने उनके नाम को दर्शाते हुए वरीयता क्रम में पर्याप्त सुख्या में (शॉर्टलिस्ट फर्मों से रिक्तियों का दोगुना) लेखा परीक्षा फर्मों का चयन करेगी। एसीबी को एसए की नियुक्ति हेतु कम से कम 2 लेखा परीक्षा फर्मों का चयन करना होगा ताकि अगर पहली वरीयता वाली फर्म अपात्र पाई जाती है/नियुक्ति से मना कर देती है तो दूसरी वरीयता वाली फर्म को नियुक्त किया जा सके और एसए की नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब न हो। हालांकि, बैंक द्वारा लगातार 3 वर्षों की अवधि के कार्यकाल के पूरा होने तक एसए की

पुनर्नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति की मांग करते समय भा.रि.बैंक को कई लेखा परीक्षा फर्मों के नाम शॉर्टलिस्ट करने और भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

11.2.5 इसके बाद, बैंक नियुक्ति के लिए भा.रि.बैंक को वरीयता क्रम में एसए की सूची भेजेगा।

11.2.6 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त मौजूदा सांविधिक लेखा परीक्षकों की सेवाओं का उपयोग बाद की तिमाहियों/वित्तीय वर्ष में सांविधिक लेखा परीक्षा/सीमित समीक्षा के लिए तब तक करता रहेगा जब तक कि एसए की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

12. लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय

एसए के लिए लेखा परीक्षा शुल्क भा.रि.बैंक द्वारा तय किया जाएगा।

13. नीति की समीक्षा:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक का बोर्ड **जब भी आवश्यक हो/आवश्यकता के आधार** पर नीति की समीक्षा कर सकता है।

यदि नीति में संशोधन की आवश्यकता वाले कोई नियामक बदलाव हैं, तो अगले संभावित अवसर पर नीति की समीक्षा की जाएगी और संशोधन किया जाएगा।

14. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाएगा।

****